(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी 1993 के दैनिक जागरण में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को बदले की भावना से झूठे मामलों में फंसा कर पकड़ लिया जाता है और उन्हें पुलिस हिरासत में परेशान किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने इन ज्यादतियों के संबंध में कोई जांच करवाई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी ज्यादती करने और अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समाचार में उल्लिखित विशिष्ट घटना की, पूर्वी जिले के सतर्कता एकक द्वारा जांच की गयी थी ।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि जांच से यह बात साबित नहीं हुई है कि स्थानीय पुलिस द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई ।

**बम्बई में दंगे**

***36. श्री राम नरेश यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और गुजरात राज्यों में दंगों के कारण मरने वालों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ख) इन दंगों पर लंबे समय तक काबू न पाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

**गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण)** : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, गुजरात में 369 व्यक्तियों और महाराष्ट्र में 841 व्यक्तियों की मौतें हुई जिनमें बम्बई में मरे 781 व्यक्ति शामिल हैं । प्रत्येक राज्य में हताहतों की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) ।

(ख) और (ग) गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच आयोग गठित किए हैं । महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित जांच आयोग, दिसम्बर, 1992 और जनवरी, 1993 के दौरान बम्बई पुलिस कमिश्नर के क्षेत्राधिकार में हुए दंगों के संबंध में है । आयोग का काम, अपने विचारार्थ विषयों के अनुसार, किए गए एहतियाती और निवारात्मक उपायों की पर्याप्तता अथवा अन्यथा की जांच पड़ताल करना, पुलिस द्वारा की गई गोली-बारी के औचित्य सहित दंगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए उपायों की पर्याप्तता की जांच पड़ताल करना ; तथा घटनाओं के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के दल अथवा किसी संगठन की जिम्मेदारी अथवा अन्यथा की जांच करना है । आयोग का यह भी काम है कि वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकथाम करने और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन उपायों के लिए सुझाव देगा । गुजरात में गठित जांच आयोग हिंसक घटनाओं के होने और उनके कारणों कानून और व्यवस्था तंत्र द्वारा किए गए उपायों की पर्याप्तता तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई कारंवाई की अपर्याप्तता सहित सभी प्रकार की चूकों की जांच पड़ताल करेगा । दोनों आयोगों को अपनी-अपनी रिपोर्ट छः माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी ।

गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, अत्यधिक संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों के लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र पुलिस स्टेशनों में जमा करवाने, अवैध शस्त्रों और विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाये जाने, अन्तर्राष्ट्रीय

सीमा पर निगरानी सख्त करने तथा शहर में प्रवेश करने वाले अथवा संवेदनशील क्षेत्रों में चलने वाले वाहनों की गहन जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं । अहमदाबाद और सूरत के नियंत्रण कक्षों में साम्प्रदायिक स्वरूप की शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा अफवाहों का खण्डन करने के लिए विशेष कक्षों का गठन किया गया है ।

महाराष्ट्र सरकार ने भी साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति की रोकथाम करने के लिए कदम उठाए हैं । शांति समितियों का गठन किया गया है । अस्त्रों का पता लगाने के लिए तलाशी ली गई है तथा सतर्कता बरती जा रही है । पुलिस तंत्र को मजबूत बनाने के लिए जीपों, वायरलैस सेटों, वाकी-टाकी उपकरणों, आदि के लिए 11.68 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं । भारत सरकार ने भी 15 करोड़ रुपए मूल्य अस्त्र/गोला बारुद स्वीकृत किए हैं तथा 500 पिस्तौलों की आपूर्ति भी की है । नागरिकों से शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई है ।

**विवरण**

**दंगों से प्रभावित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में हताहत हुए व्यक्ति**

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | मारे गए व्यक्तियों की सं० |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 26 |
| 2. | असम | 97 |
| 3. | बिहार | 49 |
| 4. | गुजरात | 369 |
| 5. | हरियाणा | 1 |
| 6. | जम्मू तथा कश्मीर | 1 |
| 7. | कर्नाटक | 78 |
| 8. | केरल | 17 |
| 9. | महाराष्ट्र | 841 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 142 |
| 11. | उड़ीसा | 4 |
| 12. | राजस्थान | 58 |
| 13. | तमिल नाडु | 2 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 192 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 46 |
| 16. | दिल्ली | 17 |
| | जोड़ | 1940 |

**Communil Riots**

*37. DR. RAMENDRA KUMAR YADAV 'RAVI': MISS SAROJ KHAPARDE: Wil] *the* Minister of HOME AFFAIRS bo pleased to state:

(a) which are the states where communal riots broke out recently after 6th December, 1992:

(b) the State-wise details of loss of life and property both Governments and Private, State-wise; and

(c) the details of relief granted both in cash and kind, State-wise?

THE xMINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) to (c) State-wise number of casualties and assistance disbursed in the comnmnlal riots is given *in* the Statement and is placed on the table of the House. Information regarding loss of property as assessed upto 21-12-1992 is also given in the statement (See below). The information regarding assistance given in kind is not available.